

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक २१३२ / आर १६१४ / २०१४ / ब-१ / चार
प्रति,

भोपाल दिनांक २० / १० / २०१४

शासन के समस्त विभाग
मध्य प्रदेश

विषय:- प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2014-2015 का विधान सभा में उपस्थापन।

-०-

वर्ष 2014-2015 का प्रथम अनुपूरक अनुमान विधान सभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। इस अनुपूरक अनुमान में निम्न स्वरूप की मद्दें ही सम्मिलित की जावेगी : -

- (1) जिनके लिये राज्य की आकर्षिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया हो ।
 - (2) वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2014-2015 के लिये निर्धारित पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार आधिक्य की पूर्ति के लिये निधि आवश्यक हो ।
 - (3) जिनके लिये वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई हो ।
 - (4) जिनके लिये भारत सरकार/अन्य एजेन्सी से वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है तथा जो विद्यमान मद्दों से विमुक्त न की जा सकती हो ।
2. कोई भी ऐसे नवीन मद्दों के प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किये जा सकेंगे जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त मांग की जा रही हो । वाहन क्रय के कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किये जावेंगे ।
3. अनुपूरक अनुमान से संबंधित संक्षेपिका की ६ प्रतियां (हिन्दी में) संलग्न निर्धारित दो प्रपत्रों में ही वित्त विभाग को दिनांक 31-10-2014 तक निश्चित रूप से भेजने का कष्ट करें । कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि निर्धारित प्रपत्र के सभी स्थानों की आवश्यक पूर्ति कर दी गई है। आयोजना व्यय हेतु सेगमेंट एवं विकास शीर्ष अवश्य ही लिखे जायें । कृपया लेखा शीर्ष का पूर्ण विवरण सही परीक्षण कर लें ।
4. जिन मुद्दों के संबंध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होनी है, उनकी संक्षेपिका केन्द्रीय सहायता की राशि जो राज्य को ऋण एवं अनुदान के रूप में प्राप्त होगी, विशेषतौर से बताई जाय । इसी प्रकार यदि कोई व्यय जिसके लिये राशि मांगी जा रही है उसे यदि स्वीकृत बजट की बचत से लेखों में समायोजित होना है तो उसके संबंध में अनुदान संख्या एवं शीर्ष सहित कृपया पूर्ण विवरण दिया जाय ।

संलग्न :- दो प्रपत्र


१०.१०.१४

(संदीप यादव)

सचालक बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रथम / द्वितीय / तृतीय अनुपूरक अनुमान के प्रस्ताव

संग का नाम	विभाग का फाईल क्रमांक	मांग संख्या/मुद्रा	आयोजन ना/आयोजन नेतर	उद्देश्य शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष जिसमें अनुपूरक अनुमानों में बजट प्रावधान चाहा गया है के संबंध में जानकारी	अनान्य किये जाने का कारण								
					क. उद्देश्य शीर्ष	विभाग का कुल बजट	का कुल बजट प्रावधान	प्रतीय का कुल आदान व्यय					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													(13/11 या 12'100)
													(हजार में)

नोट: आयोजना माद में वर्ष 2014-15 के द्वितीय त्रैमास तक आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय की जानकारी भी दी जाए।
कार्यालय उपकरण एवं चाहन के मद्दों में सचिव स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।